नगर निगम करनाल

"नगर निगम, करनाल कार्यालय की टॉप फ्लोर पर स्थित कैन्टीन किराये पर देने बारे नियम व शर्ते"

1. कार्यालय के टॉप फ्लोर पर स्थित कैन्टीन को किराये पर देने के लिए रिजर्व कीमत 10,000/– रूपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है अर्थात् बोली 10,000/– रूपये से आरम्भ की जाएगी।
2. चाय 10/– रूपये प्रति कप, दूध पत्ती व कॉफी 15/– रूपये प्रति कप, ब्रेड पकोड़ा, समोसा, बालूशाही व मट्ठी आदि 10/– रूपये प्रति तथा दोपहर के भोजन की थाली का रेट 60/– रूपये प्रति थाली होगा। इसके अतिरिक्त वी.आई.पी. थाली का रेट 100/– रूपये प्रति थाली होगा।
3. ठेकेदार को उक्त कैन्टीन में सभी खाद्य पदार्थों की रेट लिस्ट लगानी होगी। के बोर्ड लगाने होंगे। ठेकेदार किसी भी खाद्य पदार्थ के रेट मार्किट रेटों से अधिक चार्ज नहीं करेगा। उल्लंघना की स्थिति में कैन्टीन की किरायेदारी रद्द कर दी जाएगी।
4. ठेकेदार को सभी खाद्य पदार्थों को बनाने में साफ–सफाई व गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा। खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता जाँचने के लिए आयुक्त, नगर निगम, करनाल अथवा उन द्वारा नियुक्त किए गए नगर निगम, करनाल के अन्य अधिकारियों द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है। कमी पाए जाने पर ठेकेदार पर जुर्माना भी किया जा सकता है।
5. ठेकेदार को कैन्टीन में अपने स्वयं के खर्च पर बिजली की आपूर्ति हेतू एक अलग सब–मीटर लगवाना होगा जिसके बिल की अदायगी ठेकेदार स्वयं बिजली विभाग को करने का पाबन्द होगा।
6. ठेकेदार उक्त कैन्टीन में चाय, काफी व अन्य पेय पदार्थों को सर्व करने के लिए डिस्पोजल कम, सिंगल यूज़ प्लास्टिक आदि का प्रयोग नहीं करेगा। अपने आसपास के क्षेत्र की पूर्णतः सफाई की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
7. ठेकेदार भारत सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार उक्त कैन्टीन में पर्याप्त मात्रा में हरे, नीले, काले, लाल व अन्य निर्धारित डस्टबिन रखेगा तथा कूड़े का निष्पादन सरकार के निर्देशानुसार ही करेगा।
8. बोलीदाताओं को बोली आरम्भ होने से पूर्व 10,000/– रूपये की धरोहर राशी डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में नगर निगम, करनाल में जमा करवानी होगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट ***Commissioner, Municipal Corporation, Karnal*** को देय होगा। सफल बोलीदाता की धरोहर राशी बोली अवधि समाप्त होने तक कार्यालय में जमा रहेगी जो बोली अवधि समाप्त होने उपरांत बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी जबकि असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशी बोली उपरांत वापिस लौटा दी जाएगी।
9. सफल बोलीदाता को बोली मूल्य की 25 प्रतिशत बोली के उपरांत बोली वाले दिन तथा शेष 75 प्रतिशत राशी बोली के 15 दिन के अन्दर–अन्दर नगर निगम, करनाल में जमा करवानी होगी। यदि सफल बोलीदाता राशी जमा करवाने में विफल रहता है तो उस द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशी को जब्त करके बोली को रद्द कर दिया जाएगा।
10. आयुक्त, नगर निगम, करनाल को बिना कोई कारण बताए किराये की अवधि समाप्त करके किरायेदारी रद्द करने अथवा किरायेदारी को आगामी समय तक बढ़ाने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. यदि ठेकेदार किराये की अविध को बीच में समाप्त करता है तो इस संबध में उसे एक माह पूर्व लिखित रूप में नगर निगम, करनाल को सूचना देनी होगी तथा इस सूरत में ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशी जब्त कर ली जाएगी।

नगर निगम करनाल

12. ठेकेदार सभी सरकारी बैठकों में चाय आदि देने का पाबन्द रहेगा चाहे उस दिन अवकाश ही क्यों ना हो। उल्लंघना की स्थिति में किरायेदारी को रद्द किया जा सकता है।
13. सफल बोलीदाता को नगर निगम, करनाल के नियम व शर्तों बारे नगर निगम, करनाल के साथ 100/– रूपये के गैर–न्यायिक स्टैम्प पेपर पर किराएनामें का इकरारनामा सम्पन्न करना होगा।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर निगम, करनाल का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

आयुक्त,
नगर निगम, करनाल।